प्रकरण संख्या 89/2021 नारायण व अन्य बनाम भीमराज व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के पूर्वाधिकारी हीरा जी ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल आराजियात 24 रकबा 3.2650 हैक्टर स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1471 व 1652 किता 2 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा में गुलाब वल्द हीरा का 1/2 हिस्सा, सवा, नवला, पीथा पुत्र गुमान का 1/4 हिस्सा तथा माना, केवल पिता मोती का 1/4 हिस्सा संवत् 1987 मेवाड़ बन्दोबस्त में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष गुमान जी थे, जिनके 4 पुत्र सवा, मोती, नवला व पीथा हुए। चारों ही फोत हो चुके हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 से 18 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 19 से 21 का 1/6 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं। गुमाना की मृत्यु के बाद गुमाना के 1/2 हिस्से पर सवा, मोती, नवला व पीथा काबिज हुए। पीथा लाऔलाद फोत होने से उसका हिस्सा सवा, मोती, नवला में मर्ज हो गया। गुमाना के 1/2 हिस्से में सवा का 1/6 हिस्सा, मोती का 1/6 हिस्सा व नवला का 1/6 हिस्सा था व इसी अनुसार काबिज हैं। संवत् 1987 तक राजस्व रेकार्ड में खाते सही चलते रहे, लेकिन बाद की जमाबन्दी में वादी के पिता अनपढ़ होने से सवा, मोती व उनके वारिसों ने उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर अंकित करवा ली, नवला के वारिसों के नाम का इन्द्राज नहीं हुआ। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.12.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:19 IST
Reason: SelfAttested

13.12.2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.11.2021 को नकल प्राप्त करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट ने दिनांक 12.09.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 श्रीमती गंगाबाई पत्नी हीरा डांगी सवहन से टंकित हो गया है, जबकि वास्तव में गंगाबाई पुत्री हीरा डांगी है। इसी प्रकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 29 लच्छा पिता केवला टंकित हो गया है, जबकि वास्तव में लच्छा पिता मेघा डांगी है। अतः उक्त संशोधन कराया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 स्वीकार किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 श्रीमती गंगाबाई पत्नी हीरा डांगी के स्थान पर गंगाबाई पुत्री हीरा डांगी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 29 लच्छा पिता केवला के स्थान पर लच्छा पिता मेघा डांगी किये जाने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:19 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित

तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 16 व 17 की मृत्यु 2 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, जिसकी जानकारी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 को होते हुए भी उनके वारिसान को कायम मुकाम नहीं बनाया एवं मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री प्राप्त कर ली, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। प्रकरण रिमाण्ड होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया, उसके बाद सभी पक्षकारान की तलबी वादी को कराना आवश्यक था, जो नहीं करवायी गयी है। अपीलान्ट के पिता दल्ला भी फोत हो चुके थे, जिसकी सूचना अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद थी व सम्मन पर रिपोर्ट हुई है, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह मृतक की नामकायमी कराते, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी करते हुए मृतक के खिलाफ वाद डिक्री कर दिया। उक्त भूमि में संवत् 1987 से बाप–दादा के समय से हमारा 1/4 हिस्सा है और मौके पर अपीलान्ट काबिज चले आ रहे हैं, उक्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के खाते कभी भी दर्ज नहीं रही न ही उनका मौके पर कब्जा है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2017 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण की प्रोपर तामिल नहीं कराये जाने के कारण वाद खारिज किया है, जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा 2000/– की कोस्ट पर वादी की निगरानी स्वीकार किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण नंबर पर लिया गया, किन्तु इसके बावजूद भी वादी द्वारा प्रतिवादीगण की प्रोपर तामिल नहीं करवायी गयी फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया कि दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 16, 17 की मृत्यु हो जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:19 IST
Reason: SelfAttested

बावजूद उनके वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया गया, जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.12.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में मृत प्रतिवादीगण के वारिसान की नामकायमी करवाकर प्रतिवादीगण की विधिवत तामिल करावें एवं उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:19 IST
Reason: SelfAttested